

न्यायालय :- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
श्रृंखला न्यायालय - बैहुर  
(पीठासीन अधिकारी- वाचस्पति मिश्र)

Filling No. RCSHM/295/2017

CNR-MP50050021662017

Case No. RCSHM/2/2017

संस्थित दिनांक-07-09-2017

श्रीमति शारदा उम्र 32 वर्ष पति अशोक बसेन जाति पंवार  
निवासी-ग्राम समनापुर उकवा तहसील परसवाड़ा  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — आवेदिका / याचिकाकर्ता

— / / विरुद्ध / / —

अशोक बिसेन उम्र 34 वर्ष पिता स्व. सावनलाल बिसेन जाति पंवार  
निवासी-ग्राम मदनपुर तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अनावेदक / गैर याचिकाकर्ता

=====

श्री गणेश गोण्डाने अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता ।

श्री वाय0आर0 चौधरी अधिवक्ता वास्ते गैर याचिकाकर्ता ।

=====

— / / / निर्णय / / / —

(आज दिनांक 30 जून 2018 को घोषित)

1. आवेदिका / याचिकाकर्ता द्वारा अनावेदक के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 13 (ख) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 का निराकरण किया जा रहा है ।
2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध पत्नि है एवं मास्टर राजवीर उनकी नाबालिग संतान है ।
3. आवेदन पत्र का सार यह है कि आवेदिका एवं अनावेदक पवार जाति के होकर हिन्दु विधि से शासित होते हैं । आवेदिका, अनावेदक की विधिवत विवाहिता पत्नी है । आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 16.04.2012 को गायत्री मंदिर वारासिवनी जिला बालाघाट में सम्पन्न हुआ था । विवाह पश्चात् आवेदिका बतौर

पत्नी अनावेदक के साथ ग्राम मदनपुर तहसील वारासिवनी में दांपत्य जीवन का निर्वाह करने चली गई, उभयपक्ष के संसर्ग से उत्पन्न पुत्र राजवीर उम्र 5 वर्ष है जो कि आवेदिका (शारदा) के साथ निवास करता है। आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य मनमुटाव होने से आवेदिका दिनांक 14.06.2014 से अनावेदक से पृथक् निवास कर रही है। इस बीच आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

4. यह कहा गया है कि आवेदिका एवं अनावेदक के बीच दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किए जाने का प्रयास किया गया, जो कि नहीं हो पा रहा है और न ही होना संभव है। चूंकि उपर्युक्त विवाह असुधार्य ढंग से टूट गया है। उभयपक्ष अपनी सहमति से पृथक्-पृथक् रहकर जीवन यापन करना चाहते हैं, अपना-अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं है, संपूर्ण दहेज का सामान आवेदिका प्राप्त कर चुकी है, पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं, उभयपक्षों के मध्य कुछ लेना-देना शेष नहीं है, आज्ञाप्ति प्रदत्त किए जाने की याचना की है।

#### अवधार्य प्रश्न :-

1- क्या आवेदिका, अनावेदक से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?

#### निष्कर्ष:-

5. सर्वप्रथम धारा 13 (ख) हिन्दु विवाह अधिनियम की सुसंगत विधिक स्थिति की विवेचना किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत:- Naveen Kohli vs Neelu Kohli on 21 March, 2006 अपैक्स कोर्ट अवलोकनीय है जिसमें माननीय अपैक्स कोर्ट ने यह मार्गदर्शन प्रदान किया है जहाँ उभयपक्ष के मध्य विवाह असुधार्य ढंग से ( Irretrievable Breakdown of Marriage ) टूट गया है उक्त मामले में विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना न्यायपूर्ण माना गया है एवं न्यायदृष्टांत:- गजेन्द्र बनाम मधुमति ए.आई.आर. 2001 एम.पी. 299 एवं श्रीमती रमेश चंदर बनाम श्रीमती सावित्री ए.आई. 1995 सु.को. 851 के मामले में Irretrievable Breakdown of Marriage के आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की गई है।

6. अभिलेख में यह आया है कि आवेदिका प्रस्तुत याचिका संस्थित किए जाने के पूर्व वर्ष 2014 से अनावेदक से पृथक् निवास कर रही है। आवेदिका द्वारा दिनांक 07.09.2017 को यह याचिका संस्थित की गई है जिसमें न्यायालय द्वारा समझौते का प्रयास किया गया है। उभयपक्ष के इंटरव्यू के आधार पर यह मामला Irretrievable Breakdown of Marriage की श्रेणी का पाया गया है।
7. आवेदिका और अनावेदक ने राजीनामा याचिका की शर्तों को स्वतंत्र सहमतिपूर्वक स्वीकार किया है। अभिलेख पर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा याचिका अंतर्गत धारा 13 – बी के अंतर्गत विवाह-विच्छेद हेतु प्रस्तुत है। उक्त राजीनामा याचिका डिक्री का भाग होगा।
8. अतः मामले के संपूर्ण परिस्थितियों एवं समग्र दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के मध्य आक्षेपित विवाह आज दिनांक 30.06.2018 से समाप्त घोषित किया जाता है तथा विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है।
9. उभयपक्ष के मध्य अन्य कोई विवाद/मुकद्दमेबाजी शेष नहीं है तथा एक-दूसरे के विरुद्ध दर्ज मुकद्दमे वापिस लिये जावेंगे।
10. आवेदिका एवं अनावेदक से उत्पन्न संतान मास्टर राजवीर नाबालिग होने के कारण आवेदिका के सुपुर्द रहेगा।
11. अनावेदक राजवीर के शिक्षण के लिए आर.डी. एकाउंट की राशि 60,000/-रुपए का 1/2 भाग अर्थात् 30,000/-राजवीर के नाम नॉमिनी के रूप में करेगा।
12. अनावेदक माह की 15 तारीख एवं 30 तारीख के दिन के 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य मास्टर नाबालिग संतान राजवीर पर विजिटिंग राईट रखेगा।
13. उक्त निर्देश के साथ प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है।
14. उभयपक्ष अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।
15. तदानुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित  
किया गया।

**(वाचस्पति मिश्र)**

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर.

**(वाचस्पति मिश्र)**

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर.

**DECREE IN ORIGINAL SUIT**

(Code Civil Procedure Code, 1908, Order XX, Rules 6 and 7)

**RCS-HM No. 02 OF 2017**

IN THE COURT OF वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
 श्रृंखला न्यायालय बैहर  
 श्रीमति शारदा उम्र 32 वर्ष पति अशोक बसेन जाति पंवार  
 निवासी—ग्राम समनापुर उकवा तहसील परसवाड़ा  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — आवेदिका / याचिकाकर्ता  
 — / / विरुद्ध / / —

अशोक बिसेन उम्र 34 वर्ष पिता स्व. सावनलाल बिसेन जाति पंवार  
 निवासी—ग्राम मदनपुर तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट (म.प्र.)  
 — — — — अनावेदक / गैर याचिकाकर्ता

=====

Claim for- विवाह — विच्छेद की डिक्री पाने बाबद् ।  
 Defendent —

This suit coming on this day for final disposal me in the presence of  
 (for the plaintiff) Shri श्री गणेश गोण्डाने अधिवक्ता ।  
 (for the defendant) Shri श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता ।

It is ordered and decreed that

उभयपक्ष के मध्य आक्षेपित विवाह Irretrievable Breakdown of Marriage की श्रेणी का पाते हुए आज दिनांक 30.06.2018 से समाप्त घोषित किया जाता है तथा विवाह—विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है :—

- A- उभयपक्ष के मध्य अन्य कोई विवाद / मुकद्दमेंबाजी शेष नहीं है तथा एक—दूसरे के विरुद्ध दर्ज मुकद्दमे वापिस लिये जावेंगे ।
- B- आवेदिका एवं अनावेदक से उत्पन्न संतान मास्टर राजवीर नाबालिग होने के कारण आवेदिका के सुपुर्द रहेगा ।
- C- अनावेदक राजवीर के शिक्षण के लिए आर.डी. एकाउंट की राशि 60,000 /—रुपए का 1/2 भाग अर्थात् 30,000 /—राजवीर के नाम नॉमिनी के रूप में करेगा ।
- D- अनावेदक माह की 15 तारीख एवं 30 तारीख के दिन के 3:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य मास्टर नाबालिग संतान राजवीर पर विजिटिंग राईट रखेगा ।
- E- उक्त निर्देश के साथ प्रस्तुत याचिका स्वीकार की जाती है ।
- F- उभयपक्ष अपना—अपना व्यय वहन करेंगे ।

P.T.O.



and that the sum of Rs. - be paid by the defendant  
Plaintiff  
to the defendant  
Plaintiff

on account of costs of this suit, with interest thereon at the rate  
Percent  
per annum from this date of realization

Given under my hand and the seal of the Court this 30-06-2016 8

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

### COSTS OF SUITS

	Piaintiff	Amount	Defendant	Amount
1.	Stamp for plaint	80.00		
2.	Application	20.00	Stamp for application & affidavit	--
3.	Stamp for powers	10.00	Stamp for powers	10.00
4.	Stamp for exhibits	--		
5.	Pleader's fee on Rs. प्रमाण पत्र पेश नहीं	--	Pleader,s fees प्रमाण पत्र पेश नहीं	--
6.	Subsistence for witness	--		
7.	Commissioner,s fee	--	commissioner,s	--
8.	Service of process	05.00	Service of process	
	<b>Total :-</b>	<b>115.00</b>	<b>Total :-</b>	<b>10.00</b>
	( एक सौ पंद्रह रु.)		(दस रु.)	

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर